

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल

(कक्ष प्रशासन-II)

क्रमांक/प्रशा-II/क्षे.स्था.2/2334

भोपाल, दिनांक 27/5/16

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/अनुसंधन-विस्तार/कार्य आयोजना) म.प्र.
2. समस्त वन मण्डलाधिकारी,
(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/उत्पादन)
वन विभाग, मध्यप्रदेश

विषय:- पारी बाहर पदोन्नति हेतु दिशा निर्देश।

-----0-----

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 के नियम 15(4) में बिना पारी पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश क्रमांक/प्रशा-II/क्षे.स्था.2/364 दिनांक 18.5.2016 द्वारा पारी बाहर पदोन्नति संबंधी दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.1) की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दिनांक 20.5.2016 को संपन्न बैठक में पारी बाहर पदोन्नति संबंधी नियम, निर्देश एवं प्रक्रिया की विस्तार से विवेचना की गयी तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर बिन्दुवार गहन परामर्श कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष व्यवस्था विकसित करने पर मंथन किया गया। समिति के कार्यवाही प्रतिवेदन पर गम्भीर विचारों उपरान्त निम्नानुसार पारी बाहर पदोन्नति व्यवस्था निर्धारित की जाती है -

1/ पारी बाहर पदोन्नति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.2/2749 दिनांक 27.5.2009 से जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है। अतः पारी बाहर पदोन्नति हेतु पूर्व से प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर अब विचार नहीं किया जायेगा।

2/ पारी बाहर पदोन्नति के लिए प्रत्येक केलेण्डर वर्ष के लिए प्रस्ताव विचारणीय होंगे। सभी प्रस्ताव जो सम्बंधित केलेण्डर वर्ष में 31 दिसंबर तक प्राप्त होंगे, उन पर पारी बाहर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। पारी बाहर पदोन्नति के प्रस्ताव सम्बंधित कर्मचारी के द्वारा मुद्रित प्रारूप में आवश्यक छाया चित्र एवं अभिलेखों सहित प्रति वर्ष 31 दिसंबर के पूर्व मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वनवृत्त कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए तथा इस आशय की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-II) को दी जाना चाहिए। यदि किसी वन मण्डल अथवा वन परिक्षेत्र के अधिकारी किसी अधीनस्थ कर्मचारी का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं तो उन्हें सम्बंधित को ही प्रोत्साहित करना चाहिए तथा प्रस्ताव तैयार करने में मदद करना चाहिए। विभागीय वेबसाईट पर आवश्यक व्यवस्था हो जाने के बाद पारी बाहर पदोन्नति प्रस्ताव ऑन-लाईन जमा किया जाना अपेक्षित होगा।

3/ पारी बाहर पदोन्नति प्रस्ताव ऐसे कर्मचारियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए वृक्षों की अवैध कटाई रोकने, वनों तथा वनभूमि को संरक्षित करने, वन्यप्राणी शिकार को रोकने, वन्य पशुओं की खाल, सींगों तथा हड्डियों को अभिग्रहित करने, वन सम्पदा को आग से संरक्षित करने में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया हो तथा वन रोपण, वन प्रबंधन, काष्ठ एवं अकाष्ठ वनोपज प्रबंधन एवं अन्य वानिकी विकास कार्य आदि को उत्कृष्टता से सम्पादित किया गया हो। ऐसे कर्मचारियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्रों में किये गए उत्कृष्ट कार्यों को उसी उत्कृष्टता स्तर पर तीन वर्ष तक कायम रखा जाना प्रदर्शित होना चाहिए। सम्बंधित कर्मचारी का कार्य अन्य कर्मचारियों की तुलना में सर्वोत्तम श्रेणी का होना चाहिए तथा उनके नियंत्रक क्षेत्रीय अधिकारियों को इस आशय का समाधान होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच आदेशित अथवा प्रस्तावित नहीं होना चाहिए तथा उसके विगत न्यूनतम 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन पदोन्नति योग्य मापदण्ड के अनुरूप होना चाहिए तथा कोई भी गोपनीय प्रतिवेदन घटिया श्रेणी का नहीं होना चाहिए। पारी बाहर पदोन्नति प्रस्ताव भेजने वाले कर्मचारी की न्यूनतम 5 वर्ष वन विभाग में शासकीय सेवा अवश्य होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को सेवा काल में केवल एक बार ही पारी बाहर पदोन्नति की पात्रता होगी।

4/ पारी बाहर पदोन्नति के लिए वन वृत्त अथवा वन मण्डल वार कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी। वन विभाग में प्रचलित वानिकी, तकनीकी अथवा प्रशासनिक गतिविधियों के लिए कोई पृथक पृथक पारी बाहर पदोन्नति के पद निर्धारित नहीं होंगे। पारी बाहर पदोन्नति के लिए वनरक्षक से वनपाल एवं वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारियों का चयन उनकी विलक्षण प्रतिभा, अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट कार्य गुणवत्ता के आधार पर ही किया जाएगा। पारी बाहर पदोन्नति के लिए वनपाल के पदों की स्वीकृत संख्या 4194 का 01 प्रतिशत=42 पद एवं उप वनक्षेत्रपाल के स्वीकृत पद संख्या 1258 का 01 प्रतिशत=13 पद संख्या तक ही पारी बाहर पदोन्नति प्रति वर्ष सीमित रहेगी। परन्तु यह 01 प्रतिशत संख्या भी पारी बाहर पदोन्नति के लिए बंधनकारी नहीं होगी अर्थात् यदि कम प्रस्ताव प्राप्त होते हैं या प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पात्र नहीं पाए जाते हैं, तो पारी बाहर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। पारी बाहर पदोन्नति हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या का राज्य स्तर पर ही संज्ञान लिया जायेगा, वनवृत्त स्तर पर नहीं। किसी एक केलेण्डर वर्ष के अवशेष पद आगामी वर्षों में अग्रेषित नहीं होंगे।

5/ पारी बाहर पदोन्नति की पात्रता निर्धारण के लिए वन वृत्त स्तर पर एक 5-सदस्यीय "पारी बाहर पदोन्नति परीक्षण समिति" द्वारा कार्य सम्पादन किया जाएगा। वन वृत्त में पदस्थ एवं कार्यरत वरिष्ठ 5 अधिकारी समिति के सदस्य होंगे, जिसमें से वरिष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा तथा मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय स्वयं अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6/ वृत्त स्तरीय समिति द्वारा सभी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जनवरी माह में बैठक निर्धारित की जाएगी, जिसमें पारी बाहर पदोन्नति प्रस्ताव देने वाले सभी कर्मचारियों को अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण करने लिए आमंत्रित किया जाएगा। समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण सम्बंधित कर्मचारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु यदि वह चाहे तो किसी अन्य वन कर्मचारी की भी आंशिक सहायता ले सकता है। वृत्त स्तरीय समिति द्वारा समस्त उपलब्ध प्रस्तावों के परीक्षण एवं विवेचना उपरान्त उपयुक्त प्रस्तावों का चयन किया जाएगा तथा ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा जो निर्धारित मापदण्ड से उपयुक्त नहीं हैं। परन्तु प्रस्तावों के चयन के लिए अथवा

उनके अस्वीकार करने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस आशय का स्पष्ट कारण उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। चयनित एवं अस्वीकृत सभी प्रस्तावों को विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा समिति के कार्यवाही विवरण को सभी सम्बंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7/ वृत्त स्तरीय समिति द्वारा जिन प्रस्तावों का आगामी कार्यवाही हेतु चयन किया जाएगा उनका परीक्षण 2-सदस्यीय समिति द्वारा माह जनवरी-फरवरी में किया जाएगा। परीक्षण समिति में वनवृत्त से बाहर के 02 ऐसे वन अधिकारी होना चाहिए जो सम्बंधित प्रस्तावों से असम्बद्ध हों। इसके लिए किसी सक्षम बाह्य संस्था की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। परीक्षण समिति प्रस्ताव में दिए गए उत्कृष्ट कार्य का स्थल निरीक्षण करेगी, वास्तविक तथ्यों का पता लगाएगी एवं अपना प्रतिवेदन वृत्त स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक प्रस्ताव का वास्तविक परीक्षण हो जाने के उपरांत पुनः वृत्त स्तरीय समिति की बैठक माह फरवरी में आयोजित की जायेगी तथा पूर्व चयनित प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत उनमें से उपयुक्त एवं पात्र कर्मचारियों के प्रस्ताव अपनी व्याख्यात्मक एवं विवरणात्मक अनुशंसा सहित राज्य स्तरीय पारी बाहर पदोन्नति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

8/ राज्य स्तरीय पारी बाहर पदोन्नति के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 7 सदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें वन मुख्यालय की शाखा प्रशासन-1, संरक्षण, विकास, वन्यप्राणी, उत्पादन एवं संयुक्त वन प्रबंध शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे, जिनका पद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक से कम नहीं होना चाहिए। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II) राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव तथा मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II) सदस्य सह सचिव होंगे। सभी सदस्यों में से वरिष्ठतम अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। कार्यवाही प्रक्रिया में न्यूनतम 05 सदस्य अवश्य होना चाहिए। यह समिति वन वृत्त स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उनके द्वारा यह सम्पूर्ण प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति यदि आवश्यक समझे तो सम्बंधित वृत्त स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अथवा अन्य किसी अधिकारी को सम्बंधित प्रस्ताव के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने, आवश्यकतानुसार पुनः परीक्षण करवाने तथा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा दी गयी अतिरिक्त सूचना का परीक्षण कराने हेतु निर्देशित कर सकेगी। राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी देने हेतु सम्बंधित पारी बाहर पदोन्नति हेतु उम्मीदवार कर्मचारी को आमंत्रित किया जायेगा तथा उसे स्वयं अथवा किसी सहयोगी की सहायता से प्रस्तुतीकरण का अवसर दिया जायेगा।

9/ राज्य स्तरीय समिति द्वारा सभी वन वृत्त से प्राप्त प्रस्तावों को समग्र रूप से उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता के आधार पर परीक्षण किया जायेगा, जिसके लिए किसी वन वृत्त/वन मण्डल/विभागीय शाखा को प्राथमिकता नहीं होगी अर्थात् सभी प्रस्ताव समग्र रूप से सम्बंधित कर्मचारी की विलक्षण प्रतिभा, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य बिन्दुओं के आधार पर ही परीक्षण किये जायेंगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों के चयन करने अथवा अस्वीकार करने के लिए उनके द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया एवं लिए गए निर्णय का आधार स्पष्ट किया जायेगा।

राज्य स्तरीय चयन समिति का कार्यवाही विवरण विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा सभी वन वृत्त को भेजा जाएगा। पारी बाहर पदोन्नति की समस्त कार्यवाही माह जून अन्त तक पूर्ण की जायेगी।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का दृढ़ता से पालन करते हुए पारी बाहर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न होना चाहिए। जारी निर्देशों से सभी कार्यपालिक कर्मचारियों को अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें विभागीय वेबसाईट देखने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए।

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल, दिनांक: 27/5/2016

पृ०क्रमांक/प्रशा-III/क्षे.स्था.2/2335

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन विभाग/वन विकास निगम/लघु वनोपज संघ)
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक,
(वन विभाग/लघु वनोपज संघ/बांस मिशन/जैव विविधता बोर्ड/इको पर्यटन बोर्ड)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

(सतीश त्यागी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.II)
मध्यप्रदेश भोपाल